



स्वच्छ महाराजगंज



कार्यालय नगर पंचायत, महाराजगंज

E-Mail :- nagarpanchayat.maharajganj@gmail.com



स्वस्थ महाराजगंज

पत्रांक...1194/

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर पंचायत, महाराजगंज।

सेवा में,

वरिय लेखापरीक्षा अधिकारी,  
भा0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र-1  
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना।

महाराजगंज, दिनांक...25-9-2018

विषय :-

निरोक्षण प्रतिवेदन संख्या- 643/2010-11, 252/2013-14, 737/2014-15 एवं  
654/2017-18 का साक्ष्य सहित अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में सादर कहना है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या-  
643/2010-11, 252/2013-14, 737/2014-15 एवं 654/2017-18 का अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र  
के साथ संलग्न कर भवदीय की सेवा में समर्पित की जा रही है।

अतः अनुरोध स्वीकार करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर पंचायत, महाराजगंज।

ज्ञापंक...1194/न0पं0 महा0/ दिनांक 25-9-2018

प्रतिलिपि :- सरकार के विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के भवदीय पत्रांक  
2004/दिनांक 04.09.2018 के आलोक में भवदीय द्वारा की गई पृच्छा के संबंध में सादर सूचित करना  
है कि तत्कालिन कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा समय से अनुपालन प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है।  
अतः स्पष्टीकरण से मुक्त करने की महत्ती कृपा की जाय।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर पंचायत, महाराजगंज।

25/9/18

507  
08-09-18  
97  
श्री संजीव  
संगम  
27/9/18

6  
2/11  
520  
29/9/18

# कार्यालय नगर पंचायत महाराजगंज, सिवान

अंकेक्षण अनुपालन प्रतिवेदन

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 654 / 2017-18

अवधि - 2014-15 से 2016-17

भाग - 1

प्रस्तावना

क्र०	कंडिका संख्या	अंकेक्षण टिप्पणी	अनुपालन	अभ्युक्ति
01	1	निरिक्षित कार्यालय का नाम	सूचनात्मक है, अतः कोई टिप्पणी नहीं है।	
02	2	लेखा का अवधि	सूचनात्मक है, अतः कोई टिप्पणी नहीं है।	
03	3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	सूचनात्मक है, अतः कोई टिप्पणी नहीं है।	
04	4	लेखापरीक्षा का अवधि	सूचनात्मक है, अतः कोई टिप्पणी नहीं है।	
05	5	प्रशासन	सूचनात्मक है, अतः कोई टिप्पणी नहीं है।	
06	6	लेखापरीक्षा दल के सदस्यगण	सूचनात्मक है, अतः कोई टिप्पणी नहीं है।	
07	7	पर्यवेक्षण पदाधिकारी	सूचनात्मक है, अतः कोई टिप्पणी नहीं है।	
08	8	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति	सूचनात्मक है, अतः कोई टिप्पणी नहीं है।	
09	9	लेखापरीक्षा टिप्पणी	सूचनात्मक है, अतः कोई टिप्पणी नहीं है।	
10	10		सूचनात्मक है, अतः कोई टिप्पणी नहीं है।	
भाग- II (क)- शुन्य				
भाग- II (ख)				
11	1	राजस्व वसूली की राशि जमा नहीं - रू0 0.99 लाख	श्री टुनटुन प्रसाद, चालक-सह- टैक्स कलैक्टर/श्री विरेन्द्र कुमार राय, पूर्व लेखापाल/श्री अंशु कुमार सिंह, वार्ड सफाई जमादार एवं श्री प्रतियुश कुमार गौतम, लिपिक-सह- लेखापाल, नगर पंचायत, महाराजगंज को व्यापार कर एवं 'एच' रसीद के माध्यम से संग्रह की गई कुल राशि 99,400 00 रूपया की वसूली हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। (नोटिस की छायाप्रति संलग्न)	


12	(2) i	दुलाई पर अनियमित भुगतान	जानकारी के अभाव के कारण ही ये अनियमिता हुई अतः अंकेक्षण के उपरांत संवेदक द्वारा M.N Form नहीं देने पर Royalty दोगुनी काटी जायेगी। अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।
13	(3) i	दुलाई पर अनियमित भुगतान	जानकारी के अभाव के कारण ही ये अनियमिता हुई अतः अंकेक्षण के उपरांत संवेदक द्वारा M.N Form नहीं देने पर Royalty दोगुनी काटी जायेगी। अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।
14	4	सैरात बंदोबस्ती में राजस्व हानि रू0 0.52 लाख	जानकारी के अभाव के कारण अतः अंकेक्षण महोदय द्वारा दी गई सुझाव को अगले बंदोबस्ती में नियमानुसार अनुपालन की जाएगी।
15	5	विलंब अधिभार भुगतान एवं अधिक भुगतान - रू0 0.13 लाख	विधुत विपत्र से समायोजन कर तथा अंकेक्षण दल को दिखाया जायेगा।
16	6	लैपटॉप के क्रय में अनियमितता एवं विपत्र से वैट की कटौती नहीं रू0- 0.18 लाख	न्यू माइक्रो सन इन्फो, सीवान से वैट की राशि मो0- 18337.00 रूपया का आपूर्तिकर्ता द्वारा फार्म सी0- III की माँग की गई है। तथा पुनः माँग के लिए पत्र भेजा जायेगा।
17	7	मोबाईल टॉवर से पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क की बकाया राशि-रू0 45.43 लाख	मोबाईल टॉवर कम्पनी को नोटिस कर दी गई है। तथा कुछ टॉवर कम्पनी के द्वारा बकाया राशि जमा किया गया है। और बकाया राशि वसूल के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम के नियमानुसार टावर कम्पनी को सील कर बकाया राशि को वसूलने के लिए अग्रेतर कार्रवाई किया जा रहा है। (नोटिस की छायाप्रति संलग्न)

5

18	8	वैट, रॉयल्टी, आयकर एवं श्रम सेस की कटौती की गई राशि जमा नहीं- रू0 43.42 लाख	बकाया सभी प्रकार के योजनाओ में नियमानुसार काटी गई राशि को उसके विभाग को जमा कर दी गई है। तथा शेष बची हुई राशि को जल्द जमा कर दी जायेगी। (वैट एवं रॉयल्टी की छायाप्रति संलग्न)
19	9	असमायोजन अग्रिम - रू0 5.48 लाख	अभिकर्ता श्री पृथ्वी राज सिंह, तत्कालीन प्रभारी, कनीय अभियंता नगर पंचायत, महाराजगंज द्वारा लिए गये अग्रिम को जमा करने हेतु उनके संबंधित विभाग सारण नहर प्रमंडल, महाराजगंज के उनके वेतन से सेवान्त लाभ के राशि पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। (नोटिस पत्र की छायाप्रति संलग्न)
			ओम प्रकाश गुप्ता, पूर्व वार्ड पार्षद को राशि मो0- 22,500.00 रूपया जो कबीर अन्त्योष्टि योजना में दी गई अग्रिम राशि को समायोजन/जमा करने हेतु नोटिस निर्गत की गई है।(नोटिस पत्र की छायाप्रति संलग्न)

**भाग- III (TAN)**

20	1	वार्षिक लेखा का संधारण नहीं किया जाना	अंकेक्षण महोदय द्वारा दर्शायी गई आपत्तियों का अनुपालन किया जायेगा।
21	2	बजट प्राक्कलन	अंकेक्षण महोदय द्वारा दर्शायी गई आपत्तियों का अनुपालन किया जायेगा।
22	3	सेवा पुस्तिका के संधारण में अनियमितता	अंकेक्षण महोदय द्वारा दर्शायी गई आपत्तियों का अनुपालन किया जायेगा।
23	4	पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन	अंकेक्षण महोदय द्वारा दर्शायी गई आपत्तियों का अनुपालन किया जायेगा।
24	5	सामान्य अभियुक्ति	अंकेक्षण महोदय द्वारा दर्शायी गई आपत्तियों का अनुपालन किया जायेगा।

  
 कार्यपालक पंचायत अधिकारी  
 नगर पंचायत महाराजगंज  
 22/11/18  
 सिवान

RECEIVED  
FEBRUARY 1962  
FBI